कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, इलाहाबाद।

सूचना

जनपद इलाहाबाद के दो अपर प्रधान पारिवारिक न्यायालयों में दो रिक्त परामर्शदाताओं के पदों हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 2214/Admin 'G-I/2021, Allahabad Dated: 17.02.2021 में वर्णित शासनादेश संख्या– 102/VII–न्याय–2–2015–728/86 दिनांक 18.06.2015 के अनुक्रम में परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु सुपात्र व्यक्तियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जो उक्त शासनादेश में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगीः–

1. यह प्रयास किया जायेगा कि व्यक्ति उसी जिले से सम्बन्धित हो जहाँ पर पारिवारिक न्यायालय स्थित हो। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने में कोई बाधा नहीं है।
2. शैक्षिक अर्हता हेतु यह ध्यान रखा जायेगा कि अर्ह व्यक्ति समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और पारिवारिक काउंसिलिग में जिन्हें दो वर्ष का अनुभव है उन्हें वरीयता दी जायेगी।
3. विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
4. आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्कुट्रिनी की जायेगी और यथासम्भव एक पद के सापेक्ष पाँच लोगों की सूची तैयार की जायेगी।
5. राज्य सरकार से अर्ह परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय, परिवार एवं बाल विकास से सम्बन्धित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा।
6. परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय के संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।
7. परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ से तीन वर्ष का होगा। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर तीन वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
8. परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और ये न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।

जो व्यक्ति उपरोक्त अर्हताओं को पूरा करते हों और अपर प्रधान पारिवारिक न्यायालय, इलाहाबाद में परामर्शदाता के पद पर कार्य करने के इच्छुक हों वे अपना आवेदन पत्र दिनांक 03.03.2021 तक प्रधान पारिवारिक न्यायालय, इलाहाबाद के कार्यालय में आवश्यक विवरण शैक्षिक योग्यता, अनुभव, पहचान, निवास से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों एवं रंगीन नवीनतम फोटो को स्वतः प्रमाणित कर दो प्रतियों में प्रत्येक कार्यदिवस को अपराह्न 03:00 बजे से 04:30 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र में आवश्यक सभी विवरण आवेदक द्वारा स्वहस्तलेख में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये।

अंतिम तिथि अर्थात् 03.03.2021 के पश्चात कोई भी प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(Sunil Kumar)
24/02/21

दिनांक–

प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय, इलाहाबाद।